कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय भानपुरी, जिला-बस्तर (छ.ग.)

Email Id-gcbhanpuri@rediffmail.com Website-www.govtcollegebhanpuri.in

भानपुरी, दिनांक 25/11/2025,

क्रमांक 259/स्था./2025,

//अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज स्था. /2024, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024, एवं छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20/06/2024 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में अध्यापन व्यवस्था सत्र **2025–26** हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। **आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 01/12/2025 को सांय 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है।** निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रथंपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक /ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यून्तम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

   नोटः–स्नात्तकोत्तर स्तर में मूल विषय–समाजशास्त्र के अभ्यर्थियों के आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। संबंधित विषय (Allied Subject) में स्नात्तकोत्तर के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. आयु सीमाः– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ अधिकारी एवं अतिथि गंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

25/11/25

25/11/25
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय भानपुरी
जिला-बस्तर (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner

रिक्त पदों का विवरणः—

क्रं.	विषय का नाम	रिक्त पद	प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	समाजशास्त्र	01	—	01

टीपः— संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थांनातरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एंव अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तेः—

1. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण—पत्र, 10वी., 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर सेट/नेट एम. फिल/पी—एच.डी.अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
2. **दिनांक 01.12.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है,** प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई—मेल से भेजे गये आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईड पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईड नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के वेबसाईड में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईड में विस्तृत विवरण भी अपलोड़ किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 03 दिवस तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक—.......................को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईड अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्ध शासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं जाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

25/11/25

25/11/25

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय भानपुरी
जिला–बस्तर (छ०ग०)

Scanned with OKEN Scanner